	राजस्थान राजपत्र विशेषांक	RAJASTHAN GAZETTE Extraordinary
सत्यमेव जयते	साधिकार प्रकाशित	Published by Authority
	श्रावण 15, रविवार, शाके 1945-अगस्त 06, 2023 *Sravana 15, Sunday , Saka 1945- August 06, 2023*	

भाग-1(ख)

महत्वपूर्ण सरकारी आज्ञायें।

राजस्व (ग्रुप-1) विभाग

अधिसूचना

जयपुर, अगस्त 05, 2023

संख्या प. 9(18)राज-1/2022-(9) :-राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 (1956 का अधिनियम संख्या 15) की धारा 15 एवं 16 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा इस सम्बन्ध में जारी पूर्व अधिसूचनाओं के आंशिक अधिक्रमण में राज्य सरकार एतद् द्वारा निम्न प्रकार आदेश प्रदान करती है:-

<u>जिलों का गठन/पुनर्गठन</u>

फलौदी-जोधपुर जिले का पुनर्गठन किया जा कर नया जिला फलौदी गठित किया जाता है जिसका मुख्यालय फलौदी होगा।

नवगठित फलौदी जिले में निम्नलिखित उपखण्ड तथा तहसीलें सम्मिलित की जाती है:-F

नवगठित जिला	नाम उपखण्ड	नाम तहसील
फलौदी	1. फलौदी	फलौदी
	2. लोहावट	लोहावट
	3. आऊ	आऊ
	4. देचू	देचू
		सेतरावा
	5. बाप	बाप
		घंटियाली
	6. बापिणी	बापिणी

2. जोधपुर- जोधपुर जिले का मुख्यालय जोधपुर होगा जिसमें निम्नलिखित उपखण्ड तथा तहसीलें सम्मिलित रहेगी:-

नवगठित जिला	नाम उपखण्ड	नाम तहसील
जोधपुर	1. जोधपुर उत्तर	जोधपुर तहसील का नगर निगम जोधपुर के अन्तर्गत आने वाला समस्त भाग
	2. जोधपुर दक्षिण	जोधपुर तहसील का नगर निगम जोधपुर के अन्तर्गत आने वाला समस्त भाग

3. जोधपुर (ग्रामीण)- जोधपुर (ग्रामीण) जिला गठित किया जाता है जिसका मुख्यालय जोधपुर होगा। जोधपुर (ग्रामीण) जिले में निम्नलिखित उपखण्ड तथा तहसीलें सम्मिलित रहेगी:-

नवगठित जिला	नाम उपखण्ड	नाम तहसील
जोधपुर (ग्रामीण)	1. जोधपुर उत्तर	तहसील जोधपुर का नगर निगम जोधपुर के अन्तर्गत आने वाले भाग को छोडकर शेष समस्त भाग
	2. जोधपुर दक्षिण	तहसील जोधपुर का नगर निगम जोधपुर के अन्तर्गत आने वाले भाग को छोडकर शेष समस्त भाग
		कुडीभक्तासनी
	3. लूणी	लूणी
		झंवर
	4. बिलाडा	बिलाडा
	5. भोपालगढ	भोपालगढ
	6. पीपाडसिटी	पीपाडसिटी
	7. ओसियॉ	ओसियॉ
		तिवरी
	8. बावडी	बावडी
	9. शेरगढ	शेरगढ
	10. बालेसर	बालेसर
		सेखाला
		चामू

यह अधिसूचना दिनांक 07.08.2023 से प्रभावी होगी।

अपर्णा अरोरा,
अतिरिक्त मुख्य सचिव।

राज्य केन्द्रीय मुद्रणालय, जयपुर।